

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर संधिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख बन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
बन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

बन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018

विषय: जनपद-देहरादून के अन्तर्गत-मसूरी मोटर मार्ग के किमी 0 17.00 से ग्राम ढोमगांव तक ग्रामीण सङ्क निर्माण हेतु 0.7035 हेतु 0.7035 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1717/FP/UK/ROAD/36952/2018 दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-देहरादून के अन्तर्गत-मसूरी मोटर मार्ग के किमी 0 17.00 से ग्राम ढोमगांव तक ग्रामीण सङ्क निर्माण हेतु 0.7035 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक रवीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन गंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिकॉर्ड पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन वर्तों को रागाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (रिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0स0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5 3/2007-एफ0सी0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान गूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिशूर्त पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा धोजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0वी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, केज-1, लोधी रोड, नई विल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/येक की छायाप्रति राहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आरब्दा (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत रवीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण लार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा बन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

[Signature]

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत ली जायेगी।

मवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 1357 (1) / X-4-18 / 1(222) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. परियोजना प्रबन्धक, ग्रामीण निर्माण विभाग, रायगुरु, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Mew
(आर०के० तोमर)
रांयुक्त सचिव।